

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)-प्रथम, अयोध्या

मूलवाद संख्या-211/2019

राम पियारे बनाम राम चरन आदि

दिनांक- 15.03.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। वादी अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा कई बार पुकार कराए जाने के बाद भी वादी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी विगत गई तिथियों से न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.03.2023 का अनुपालन ही कर रहा है। वादी को उक्त आदेश के अनुपालन हेतु न्यायहित में अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति तथा वादी की अनुपस्थिति में यह वाद अदम पैरवी में खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत मूल वाद संख्या- 211/2019 वादी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (जू०डि०)-प्रथम
अयोध्या